

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.18(1-6)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2012/184)- 2131

दिनांक : 22/1/13


-: कार्यालय आदेश :-

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त-2008, यथा संशोधित 2011 के अनुच्छेद 15 एवं 86 के अनुरूप प्रत्येक परियोजना क्रियान्वयन संस्था (पी.आई.ए.) स्तर पर एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (मैन विद मशीन) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.9 (1)एफ.डी.-1(1)बजट/2004 दिनांक 28.07.2008, एफ.9(1) एफ.डी.-1(1)बजट/2010 दिनांक 25.07.2011 एवं वित्त विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के प्रावधानानुसार रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भारत सरकार एवं विभागीय वेबसाईट पर परियोजना से सम्बन्धित आंकड़ों की नियमित फीडिंग हेतु इन्टरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक परियोजना क्रियान्वयन संस्था (पी.आई.ए.) को भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) का बी.बी.जी. कॉम्बो यू.एल.डी.-850 प्लान लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रत्येक पी.आई.ए. स्तर पर उक्त प्लान हेतु अधिकतम राशि रु. 1000/- प्रतिमाह की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

पी.आई.ए. स्तर पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं इन्टरनेट कनेक्टिविटी पर व्यय की जाने वाली राशि का वहन परियोजना राशि के अन्तर्गत पी.आई.ए. स्तर पर मॉनिटरिंग मद में से (मद में राशि की उपलब्धता की सीमा तक) वहन किया जायेगा एवं उक्त प्रावधान परियोजना अवधि तक के लिए ही अनुमत होगा।

यह वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 331300105 दिनांक 18.02.2013 से अनुमोदित है।



निदेशक

क्रमांक : एफ.18(1-6)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2012/184)- 2131

दिनांक : 22/1/13

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर (समस्त)
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5), विभाग, राज, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
8. उपनिदेशक(आईडब्ल्यूएमपी/जीविकोपार्जन/प्रशासन/एमआईईएस/मूल्यांकन/प्रशिक्षण/पशुपालन/कृषि/एनडब्ल्यूडीपी/परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
9. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त)
10. पी.आई.ए. एवं सहायक अभियन्ता (जलग्रहण), पंचायत समिति
11. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।


निदेशक